हरियाणा की गठबधंन सरकारों में राज्यपाल की भूमिका : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

दिनेश
शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
e-mail: siwachshab6@gmail.com

सार :

राज्यपाल का पद आरंभ से ही चर्चा का विषय रहा है। प्रारंभ में राज्यपाल के पद को व्यर्थ माना जाता था क्योंकि केन्द्र व राज्यों में काँग्रेस की सरकार थी। राज्यपाल सिर्फ रबर स्टांप की तरह कार्य करते थे। उनकी शक्तियाँ प्रयोग में नहीं आती थी । परंतु 1967 के बाद से राज्यपाल की भूमिका में परिवर्तन आया क्योंकि आठ राज्यों में गैर–काँग्रेसी सरकार बनी। हरियाणा विधानसभा चुनाव 1982, बिहार विधानसभा चुनाव 2005, गोवा विधानसभा चुनाव 2017 आदि ऐसे मामले सामने आए जिनमें राज्यपाल ने स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग किया। संविधान में राज्यपाल को स्वयं विवेकी अधिकार दिए गए हैं। राज्यपाल के स्वविवेकी कार्यों को प्रश्न चिन्हित नहीं किया जा सकता और न ही न्यायालय में चुनौती दी जा सकती। राज्यपालों के अनेक ऐसे कृत्य सामने आए जिनमें राज्यपालों की भूमिका धूमिल हुई है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की दशा में तो राज्यपाल की भूमिका का महत्व अधिक बढ जाता है। उसे अपने विवेक से कार्य करना पड़ता है। गठबंधन सरकारों में राजनीतिक अस्थिरता की प्रकृति भी ज्यादा पाई जाती है। समर्थक दल अपना समर्थन वापिस ले लेते हैं। ऐसे में राज्यपाल को बुद्धिमता पूर्वक निर्णय लेने पड़ते हैं और परस्थितियों को नियंत्रित करना पड़ता है। इसलिए गठबधंन सरकारों में राज्यपाल का महत्व और भी बढ जाता है। शोध–पत्र का उद्देश्य गठबंधन सरकारों में राज्यपाल के स्वविवेकी कार्यों का अध्ययन व गठबंधन सरकारों की दशा में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की भूमिका का अध्ययन करना तथा इस प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान करना है। इसी संदर्भ में शोधार्थी ने हरियाणा की गठबंधन सरकारों में राज्यपाल की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। शोध–पत्र में द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। राज्यपाल की स्थिति को मजबूत करने के लिए संवैधानिक सुधारों के लिए सुझाव दिए गए हैं।

भूमिका :

भारत ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया क्योंकि भारतीय जनता तथा राजनीतिक अभिकर्त्ता व प्रशासनिक अधिकारी इस प्रणाली से अभयस्त थे। भारत 15 अगस्त,1947 को स्वतंत्र हुआ। यह राज्यों का संघ है और संसदीय प्रणाली को अपनाए हुए हैं। भारतीय संसद में दो सदन हैं– उच्च सदन (राज्य सभा) व निम्न सदन (लोक सभा)। लोक सभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा 5 वर्ष के लिए तथा राज्य सभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा 6 वर्ष के लिए होता है। लोक सभा में बहुमत प्राप्त दल के चयनित सासद अपना नेता चुनते हैं तथा राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। इसी प्रक्रिया का प्रतिरुप राज्य स्तर पर भी अपनाया गया है। राज्य स्तर पर राज्यपाल मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं।

भारतीय संविधान में राज्यपाल को स्वविवेकी अधिकार दिए गए हैं। इनका प्रयोग त्रिशंकु विधानसभा होने पर भी किया जाता है। किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने की स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित करते हैं । यदि चुनाव से पहले किन्ही दो या दो से अधिक दलों ने गठजोड़ कर लिया हो और उनका दल चुनाव परिणाम के आँकडो के आधार सबसे बड़ा दल बन गया हो तो राज्यपाल उस दल के नेता को बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर चुनाव परिणाम के पश्चात् किन्ही दो या दो से अधिक दलों ने गठजोड़ कर लिया हो और उनका दल सबसे बड़ा दल बन गया हो तो राज्यपाल उस दल के नेता को बहुमत साबित करने के लिए बुलाते हैं। अगर ये दोनों शर्तें नहीं हैं और सबसे बडे दल का नेता भी बहुमत साबित नहीं कर पाता है तो दूसरे स्थान पर रहने वाले दल के नेता को बहुमत साबित करने के लिए बुलाया जाता है। अगर कोई तीसरा दल भो सरकार बनाने की स्थिति में है या सरकार बनाने का दावा करता है तो राज्यपाल उस दल को भी अवसर देते हैं। अगर कोई भी दल सरकार नहीं बना पाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं।

बहुत बार राज्यपालों ने भी इस पद की आलोचना की है । "भूतपूर्व राज्यपाल पद्मजा नायडू ने कहा था कि ष्राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है।"[1] लेकिन 1960 के दशक के बाद से राज्यपाल की भूमिका में बदलाव आया है। राज्यों में गैर कॉंग्रेसी सरकारें बनने लग गई। लेकिन केन्द्र में कॉंग्रेस की ही सरकार थी। ऐसे में राज्यपालों की भूमिका बढ़ गई। राज्यपालों को विवेकानुसार तथा संविधान के अनुसार दलगत राजनीति से दूर रहकर कार्य करना होता है। लेकिन राज्यों में केन्द्र से अलग सरकार होने के कारण या त्रिशंकु विधानसभा होने पर अनेक मामले ऐसे सामने आए हैं जिनसे राज्यपाल के पद की गरिमा धूमिल हुई। जैसे : "4 फरवरी 2017 में गोवा में हुए आम विधानसभा चुनावों में कॉंग्रेस दल सबसे बड़ा दल था व सरकार बनाने का दावा भी किया था। लेकिन राज्यपाल ने पंरपराओं के अनुरुप न चलते हुए भाजपा दल को बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया।"[2] "फरवरी 2005 में हुए बिहार विधानसभा के आम चुनावों में राज्यपाल बूटा सिंह ने त्रिशंकु विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिए बिना राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी।"[3] कुछ ऐसे मामले आए हैं जिनमें राज्यपाल ने कड़ी के रुप में भी कार्य किया है जैसेरू "महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर 2019 को आम विधानसभा चुनाव हुए। 24 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आया जिसमें भाजपा तथा शिवसेना गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ (105+56)।"[4] "15 दिनों तक किसी भी दल ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया। राज्यपाल ने खुद पहल करत हुए भाजपा, शिवसेना तथा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित किया। भाजपा तथा शिवसेना दिए गए निर्धारित समय में बहुमत साबित नहीं कर सके। फिर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस को 12 नवंबर 2019 रात्रि 8:30 तक का समय दिया गया था लेकिन राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ने24 घंटे का समय और मांगा लेकिन राज्यपाल ने माना कर दिया और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के विधायक अजीत पंवार के समर्थन के पश्चात् भाजपा दल के नेता देवेन्द्र फडणवीस ने समर्थित विधायकों की एक सूची राज्यपाल को सौंपी तथासरकार बनाने का दावा पेश किया। 23 नवंबर को भाजपा दल के नेता देवेन्द्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने 28 नवंबर तक देवेन्द्र फडणवीस को बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया। लेकिन 26 नवंबर को ही देवेन्द्र

फडणवीस ने त्याग–पत्र दे दिया। इसके पश्चात उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाने का दावा पेश किया तथा 28 नवंबर को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली व कॉंग्रेस और राष्ट्रवादी कॉंग्रेस क समर्थन से बहुमत साबित किया।"[5]

राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद् होती है । संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है जबकि मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इनकी भूमिका चुनावों में तथा राज्य का सर्वैधानिक तंत्र असफल होने में और भी बढ़ जाती है। गठबंधन सरकारों में राज्यपाल अहम कडो के रुप में कार्य करता है। गठबंधन सरकारों की प्रकृति आमतौर पर अस्थायी होती है। दलों के मध्य किसी भी प्रकार की असहमति के कारण सरकारें टूट जाती हैं। "मिलीजुली सरकार मतभेदों के बावजूद एक समवेत स्वर होती है। ऊपर से देखने पर गठबंधन सरकार चाहे कितनी ही ठोस प्रतीत हो, उसके अंदर मतभेद के स्वर विद्यमान होते हैं । भागीदार दलों के बीच विद्यमान ये राजनीतिक मतभेद ही तो दलों को अपना अलग–अलग राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं।"[6] इस समय राज्यपाल की भूमिका और अधिक बढ़ जाती है। इस समय राज्यपाल मुख्यमंत्री को स्थिति से अवगत कराते हैं तथा स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक सुझाव भी देते हैं। परंतु ये कार्य राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करते हैं।

राज्यों तथा केन्द्र सरकार के मध्य संबंधो की समीक्षा करने के लिए समय समय पर आयोग बनाए है जिन्होनें राज्यपाल स संबंधित अनुशंसाएं की हैं। "एम० एम० पुंछी ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल को हटाने की शक्ति केन्द्र सरकार के पास नहीं होनी चाहिए जैसा कि अनुच्छेद 156 (1) में दिया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यत पद धारण करेगा। राज्यपाल को भी हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए।त्रिशंकु विधानसभा के संदर्भ में आयोग ने राज्यपाल के स्वविवेकी कार्य के लिए कुछ नियमों के सुझाव दिए जैसे राज्यपाल को चाहिए वह सबसे पहले उस दल के नेता को बहुमत साबित करने के लिए बुलाए जिसने चुनाव से पहले गठबंधन कर लिया हो तथा उनका दल सबसे बड़ा दल हो। इसके पश्चात् जो अकेला दल सबसे बडा दल हो। उसे आमंत्रित करना चाहिए। अगर वह दल भी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो चुनाव के पश्चात् जिन दलों ने गठबंधन कर लिया हो उनको उस दल बहुमत साबित करने का अवसर प्रदान करना चाहिए।"[7] "सरकारियाआयोग ने भी राज्यपाल के पाँच साल के कार्यकाल पर जोर दिया। आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री की सलाह को संवैधानिक करने का सुझाव दिया । आयोग ने अनुच्छेद 356 के अंर्तगत लगने वाले आपातकाल के संदर्भ में सुझाव दिया कि इसका प्रयोग अति संवेदनशील परिस्थितियों में करना चाहिए।"[8] "भारतीय संविधान में मे ॐ: राज्यपाल के पद, कार्यकारी शक्तियों व विधायी शक्तियों के बारे में भाग छः के अध्याय दो में अनुच्छेद 153 से 167 तक में वर्णन किया गया है।"[9]

हरियाणा विधानसभा चुनाव, 1982 एवं गठबंधन सरकार :

"हरियाणा में पहली बार गठबंधन की सरकार 1982 में बनी थी।"[10] इससे पहले हरियाणा में स्पष्ट बहुमत से सरकारें बनी । हरियाणा के पाँचवे आम चुनाव में नामांकन की

अंतिम तारीख 24 अप्रैल 1982 थी। नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 26 अप्रैल तय की गई। अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल निर्धारित हुई । 90 विधानसभा सीटों पर 2852 नामांकन पत्र भरे गए जिनमें से 57.91% (1636) नामांकन वापिस लिए गए तथा 3.22% (94) नामांकन रद्द हुए। अंतिम 1095 (38.76%) प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। "चुनाव से पहले सभी दल एक–दूसरे के साथ साठ–गांठ में लग गए। 15 अप्रैल 1982 को देवी लाल जी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें जनता पार्टी, कांग्रेस (समाजवादी), तथा लोकदल ने एक साथ मिलकर चुनाव लडने का फैसला लिया। दूसरी तरफ लोकदल केराष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चरण सिंह जी से मिलकर भाजपा तथा कांग्रेस (जगजीवन राम) ने भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। लेकिन कुछ दिन बाद दिल्ली में सम्मेलन कर जगजीवन राम जी ने कहा कि उनका दल लोकदल के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहता। लोकदल पार्टी भाजपा को 10–15 सीटें देना चाहती थी क्योंकि उन्होनें कुछ सीटें अपने छोटे सहयोगी दलों को भी देनो थी। लोकदल तथा भाजपा के शेष नेताओं ने विचार किया कि वे छोटे दलों के सहयोग बिना भी चुनाव में बेहतर परिणाम दे सकते हैं तथा दोनों दल सीटों का बँटवारा भी नहीं चाहते थे। इसलिए चुनाव से पहले सिर्फ भाजपा तथा लोकदल ने साथ मिलकर चुनाव लडने का फैसला लिया। भाजपा 24 तथा लोकदल ने 65 सीटों से चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा। अकाली दल भी दो गुटों में बँटा हुआ था । एक दल का नेतृत्व श्री करतार सिंह जी कर रहे थे जिन्होनें कांग्रेस(इंदिरा) का समर्थन किया। दुसरे दल का नेतृत्व श्री प्रकाश सिंह बादल जी कर रहे थे जो देवी लाल जी के समर्थन में थे। 19 मई 1982 को चुनाव संपन हुए तथा 24 मई 1982 को चुनाव के अंतिम परिणाम आए। परिणामों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ।"[11]

हरियाणा विधानसभा चुनाव, 1982 परिणामः दल आधारित स्थिति व वोट प्रतिशतः

तालिका : 1

क्रम संख्या	दल का नाम	चुनाव लड़ा गया	विधान सभा क्षेत्र	वोटों का प्रतिशत
1.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	90	36	37.58
2.	लोकदल	65	31	33.08
3.	निर्दलीय	835	16	26.54
4.	भाजपा	24	06	29
5.	जनता पार्टी	59	01	4.95
6.	भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी	5	00	6.94
7.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	15	00	4.29
8.	भारतीय कांग्रेस समाजवादी	2	00	0.37
9.		कुल	90	

स्त्रोत्रः हरियाणा विधानसभा चुनाव, 2009 पर सांख्यिकी प्रतिवेदन, नई दिल्लीरूभारतीय चुनाव आयोग

तालिका 1 के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा के पाँचवे आम विधानसभा चुनावों में परिणामों के आधार पर किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं हुआ। 37.58 प्रतिशत मतों के

साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 36 विधानसभा क्षेत्रों पर विजयी रही। 33.08 प्रतिशत मतों के साथ लोकदल पार्टी 31 विधानसभा क्षेत्र जीत कर दूसरे स्थान पर रही। निर्दलीय प्रत्याशियों ने 26.54 प्रतिशत मतों के साथ 16 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत प्राप्त की। भाजपा 29 प्रतिशत मतो के साथ 06 विधानसभा क्षेत्रों पर ही जीत सकीं। लेकिन चुनाव से पहले ही भाजपा तथा लोकदल पार्टी ने गठबंधन कर लिया था । परिणामस्वरुप यह दल परिणामों के आधार पर सबसे बड़ा दल बन गया था । अन्य सभी दलों को 10 प्रतिशत से कम मत मिले थे ।

भाजपा व लोकदल ने चुनाव से पहले ही गठबधंन की घोषणा कर दी थी और दोनों के विधायकों को मिलाकर सबसे दल उनका ही दल रहा था। इसलिए राज्यपाल जी का दायित्व भी यही बनता था कि वह भाजपा– लोकदल गठबंधन को पहले बहमत सिद्ध करने का अवसर प्रदान करे। "राज्यपाल जी ने यही किया और लोकदल के नेता श्री देवी लाल जी को 22 मई को बुलाया तथा 24 मई 1982 तक बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया। देवी लाल जी अपना समर्थन जुटाने में लग गए। 23 मई 1982 को भजन लाल जी केन्द्रीय मंत्री श्री सुल्तान सिंह जी के साथ राज्यपाल श्री जी० डी० तापसे से मिले। उन्होनेंअपन 44 समर्थकों के समर्थन वाली सूची राज्यपाल को सौंपी तथा कहा कि उनका दल सबसे बड़ा दल है और उनको पहले बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया जाना चाहिए। राज्यपाल जी ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह भजन लाल जी के दावे से संतुष्ट हैं और उन्होनें अपने फैसले को आधार प्रदान करने के लिए कहा कि काँग्रेस दल सबसे बड़ा दल है। इस पर पत्रकारों ने पूछा कि आपने एक दिन पहले ही देवी लाल जी को बहुमत सिद्ध करने का समय दिया है। इसका कोई जवाब न देते हुए राज्यपाल जी ने कहा कि देवी लाल जी ने कोई भी समर्थक विधायकों की सूची नहीं सौंपी है ।"[12]जल्दी से शपथ समारोह की तैयारी की गई तथा 23 मई 1982 को भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनको एक महीने का समय बहुमत सिद्ध करने के लिए दिया गया। लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चरण सिंह जी ने राष्ट्रपति से प्रार्थना की कि वह हरियाणा के राज्यपाल को बर्खास्त करें क्योंकि उन्होनें संविधान के खिलाफ कार्य किया है। राज्यपाल द्वारा निर्धारित समय पर 24 मई 1982 सुबह 10 बजे देवी लाल जी अपने समर्थक विधायकों समेत हरियाणा भवन पहुंचे तथा राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए विरोध किया। उन्होनें भजन लाल जो की एक दिन की सरकार को बर्खास्त करने की माँग की तथा कर्नल श्री राम सिंह जी ने कहा कि आपने राज्यपाल की भूमिका को धूमिल किया है । आपका यह निर्णय सिर्फ आपके लिए ही नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरनाक साबित होगा। इस वाद–विवाद पर राज्यपाल जी ने कहा कि काँग्रेस दल सबसे बड़ा दल है तो तभी मंगल सेन जी बोले कि 89 में से 45 विधायक तो आपके सामने खडे हैं तो उनका दल सबसे बड़ा दल कैसे हो गया। राज्यपाल जी से संतुष्टिदायक जवाब न मिल पाने के कारण देवी लाल जी व उनके समर्थक विधायक दिल्ली राष्ट्रपति से मिलने गए तथा राज्यपाल को बर्खास्त करने की माँग की। इसी संदर्भ में 25 मई 1982 को हरियाणा भवन में भजन लाल जी व देवी लाल जी के समर्थक एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगाते हुए झगड़ पडे। "27 मई 1982 को 12 कैबिनेट तथा 6 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। 24 जून 1982 को भजन लाल जी ने अपना बहुमत साबितकिया। उनको निर्दलीय विधायकों (06) समेत कुछ लोक दल (02) के विधायकों का भी समर्थन मिला।"[13]

उपर्युक्त विधानसभा चुनाव से हमें यह पता चलता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रुप में नहीं बल्कि केन्द्र सरकार क एजेंट के रुप में कार्य करता है। राज्यपाल केन्द्रसरकार के दबाव में कार्य करता है। यहाँ पर राज्यपाल ने संविधान व परंपराओं को ध्यान में न रखते हुए दलगत कार्य किया। जिसके परिणामस्वरुप हरियाणा में राजनीतिक स्थिति गंभीर बन गई। ये परिस्थितियाँ स्वच्छ परंपराओं को खराब कर देती हैं। राज्यपाल के इस कार्य से इस पद की भूमिका पर सवाल खडे हो गए। राज्यपाल का यह कृत्य जन भावनाओं के प्रतिकूल था क्योंकि राज्यपाल ने सबसे बडे दल की अवेहलना कीथी।

हरियाणा विधानसभा चुनाव, 1996 एवं गठबधंन सरकार

हरियाणा के आठवें आम चुनावों की घोषणा 27 मार्च 1996 को हुई। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 03 अप्रैल 1996 निर्धारित की गई तथा नामांकन पत्र की जांच की अंतिम तिथि 04 अप्रैल निर्धारित हुई। अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तिथि 06 अप्रैल तय हुई। "26 मार्च 1996 को हरियाणा विकास पार्टी व भाजपा ने गठबंधन कर लिया था। चुनाव से पहले ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल व समाजवादी पार्टी ने भी गठबधंन कर लिया। जनहित मोर्चा, हरियाणालेबर पार्टी, आर्य सभा व अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस ने भी चनाव से पहले ही गठबंधन कर लिया।"[14] पूरे प्रदेश म मतदान 27 अप्रैल को हुआ।

हरियाणा विधानसभा चुनाव, 1996 परिणामः दल आधारित स्थिति व वोट प्रतिशत : तालिका 2

क्रम संख्या	दल का नाम	प्रत्याशि	विजयी प्रत्याशि	वोटें का प्रतिशत
1.	हरियाणा विकास पार्टी	65	33	22.66
2.	समता पार्टी	89	24	20.56
3.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	09	00	0.24
4.	भाजपा	25	11	8.88
5.	निर्दलीय	2067	10	15.49
6.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	90	09	20.82
7.	बहुजन समाज पार्टी	67	00	5.44
8.	अखिल भारतीय इंदिरा काँग्रेस	62	3	3.20
9.	समाजवादी पार्टी	26	00	0.91
10.	जनता दल	48	00	0.84
11.	भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी	08	00	0.18
12.	जनता पार्टी	24	00	0.14
	कुल		90	

स्त्रोतः हरियाणा विधानसभा चुनाव, 2009 पर सांख्यिकी प्रतिवेदन, नई दिल्लीः भारतीय चुनाव आयोग

तालिका 2 के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा के आठवें आम विधानसभा चुनाव परिणामों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सबसे ज्यादा मत व विधानसभा सीटें हरियाणा विकास पार्टी को मिली। हरियाणा विकास पार्टी को 22.66 प्रतिशत मतों के साथ 33 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। 20.56 प्रतिशत मतों के साथसमता पार्टी 24 विधानसभा सीटें जीत कर दूसरे स्थान पर रही। 8.88 प्रतिशत मतों के साथ भाजपा पार्टी 11 विधानसभा सीटें जीत कर तीसरे स्थान पर रही। काँग्रेस पार्टी को मत प्रतिशत तो समता पार्टी से भी अधिक मिला लेकिन पार्टी बहुत कम विधानसभा सीटें जीत पाई। 20.82 प्रतिशत मत लेकर काँग्रेस 09 विधानसभा सीटें जीत पाई। निर्दलीय प्रत्याशियों को 15.49 प्रतिशत मतों के साथ 10 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। अन्य सभी दलों को 10 प्रतिशत से भी कम मत मिले।

हरियाणा विधानसभा के आठवें आम चुनाव में 90 विधानसभा सीटों पर 4813 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे जिनमें से 2017 वापिस हुए तथा 188 रद्द हुए । 2608 अभ्यार्थियों ने चुनाव लडा। चुनाव के नतीजे तीन दिन में आए। 50 विधानसभाओं के नतीजे 09 मई को, 35 विधानसभाओं के नतीजे 10 मई को तथा 05 विधानसभाओं के नतीजे 11 मई को आए ।

किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हरियाणा विकास पार्टी व भाजपा गठबंधन चुनाव से पहले ही हो गया था । "इस दल ने अपना नेता बंसी लाल जी को चुना और 11 मई 1996 को बंसी लाल जी न मुख्यमंत्री के रुप में शपथ ली।"[15] "इन्होनें अपनी उवर्ष बाद कैबिनेट को 6 बार बढ़ाया।"[16] "3 वर्ष बाद 22 जून 1999 को श्री रामबिलास शर्मा जी राज्यपाल से मिले तथा लिखित में उन्होनें अपना समर्थन हरियाणा विकास पार्टी से वापिस ले लिया। तब राज्यपाल जी ने मुख्यमंत्री से बात की तथा इस राजनोतिक स्थिति को संभालने के लिए कहा। बंसी लाल जी राज्यपाल से मिले तथा कहा कि उनके पास अब भी पूर्ण बहुमत है तथा वह इसको सदन में साबित करने के लिए भी तैयार हैं। राज्यपाल ने बंसी लाल जी को 25 जून 1999 तक बहुमत साबित करने का अवसर दिया। 25 जून 1999 को काँगस ने बंसी लाल जी की पार्टी को समर्थन दिया। फिर काँग्रेस पार्टी ने बंसी लाल जी से विधानसभा पार्टी भंग करने की सिफारिश की जिसे बंसी लाल जी ने नकार दिया। परिणामस्वरुप काँग्रेस दल ने भी अपना समर्थन वापिस ले लिया। राज्यपाल जी ने फिर से बंसी लाल को बुलाया तथा 21 जुलाई 1999 तक बहुमत सिद्ध करने को कहा।"[17]"20 जुलाई 1999 को 19विधायक व मंत्रियों ने हरियाणा विकास पार्टी का दामन छोड़ दिया। जिसमें 16 हरियाणा विकास पार्टी के तथा 3 विधायक निर्दलीय थे। 21 जुलाई 1999 को विधानसभा का सत्र आरंभ होने से पहले बंसी लाल जी ने राज्यपाल को अपना त्याग–पत्र सौंप दिया।"[18]"40 विधायकों का नेतृत्व कर रहे श्री औम प्रकाश चौटाला जी ने राज्यपाल से कहा कि विधानसभा की प्रक्रियाओं को सुचारु रुप से चलाने व पर्यवेक्षण करने के लिए दो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाए क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष से उनका विश्वास टूट चूका है। 24 जुलाई 1999 को चौधरी औम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने 27 जुलाई 1999 तक बहुमत साबित करने का अवसर दिया । औम प्रकाश चौटाला जी को55 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ। जिसमें 22 विधायक लोक दल के 10 विधायक भाजपा के, 17 हरियाणा विकास पार्टी (डेमोकैटिक) तथा 6 निर्दलीय विधायक थे।"[19]

इस विधानसभा के कार्यकाल का अध्ययन करने के पश्चात् हम यह कह सकते हैं कि राज्यपाल राज्य की राजनीतिक स्थिरता के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। राज्यपाल ने संविधान व परंपराओं के अनुसार सबस बड़े दल को बहुमत साबित करने का अवसर दिया । जब भी राज्य में राजनीतिक सकंट आने की संभावना हुई तो मुख्यमंत्री को सूचना व सलाह दी। मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए उचित समय दिया । जब मुख्यमंत्री बहुमत साबित नहीं कर पाए तो दूसरे सबसे बडे दल को बहुमत साबित करने का अवसर दिया और राज्य में राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखा।

हरियाणा विधानसभा चुनाव, 2009 एवं गठबधंन सरकार :

13 अक्टूबर 2009 को हुए। हरियाणा के 11वें आम विधानसभा चुनाव में 1876 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इनमें से 221 ने अपना नामांकन वापिस लिया तथा 433 का नामांकन पत्र रद्द हुआ। अंत में, चुनाव में 1222 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। 1008 की जमानत जब्त हुई। 1222 प्रत्याशियों में से 1153 पुरुष प्रत्याशी थे तथा 69 महिला प्रत्याशी थी।"[20] इंडियन नेशनल लोकदल व शिरोमणि अकाली दल ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा।

"भाजपा नेता श्री विजय गोयल जी ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा हरियाणा में अकेले चुनाव लडना चाहती है । पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब श्री औमप्रकाश चौटाला जी से इसके बारे में पछा गया तो उन्होने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहों है और न ही भाजपा की तरफ से ऐसा कोई पत्र मिला है। हम एक साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री अशोक अरोडा जी ने कहा कि अगर भाजपा को सीटों के बँटवारे से कोई समस्या है तो इसका समाधान किया जा सकता है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल 60 सीटों पर लड़ना चाहती है जो हमेंमंजूर नहीं। शिमला में हुई बैठक के बाद ही यह निर्णय लिया गया है।"[21] कांग्रेस नेअकेले चुनाव लड़ा। चुनाव में 49 दलों ने हिस्सा लिया जिसमें 7 राष्ट्रीय,2 राज्य स्तर, 16 दूसरे राज्यों की पार्टी तथा 33 पंजीकृ त पार्टी थी।

हरियाणा विधानसभा चुनाव, 2009 : पार्टीवार चुनाव खर्च :

क्रम संख्या	पार्टी	खर्च
1.	बहुजन समाज पार्टी	5,12,96,660
2.	कांग्रेस	3,15,00,000
3.	इंडियन नेशनल लोकदल	1,95,60,183
4.	हरियाणा जनहित कांग्रेस	1,68,53,350
5.	भारतीय जनता पार्टी	1,16,33,341
6.	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	21,98,427
7.	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी	44,774

स्त्रोतः हरियाणा विधानसभा चुनाव, 2009 पर सांख्यिकी प्रतिवेदन, नई दिल्लीः भारतीय चुनाव आयोग

तालिका 3 के अध्ययन से पता चलता है कि चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च राष्ट्रीय पार्टीयाँ करती हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव, 2009 में सबसे ज्यादा खर्च बसपा ने कियाथा। सत्तारुढ़

दल सरकार कॉंग्रेस ने भी 3 करोड़ से ज्यादा खर्च किया था । इनेलो, भाजपा तथा हंजका ने भी एक करोड़ से ज्यादा खर्च किया। ऐसे दल जिनका राज्य में वजूद कम है वे कम खर्च करत हैं ।

हरियाणा विधानसभा चुनाव, 2009 परिणामः दल आधारित स्थिति व वोट प्रतिशत : तलिका : 4

क्रम संख्या	दल कर नाम	चुनाव लड़ा गय	जीती सीटें	वोटों का प्रतिशत
1.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	90	40	35.08
2.	इंडियन नेशनल लोकदल	88	31	25.79
3.	निर्दलीय	513	07	13.16
4.	हरियाण जनहित कांग्रेस	87	06	7.40
5.	भारतीय जनता पार्टी	90	04	9.04
6.	बहुजन समाज पार्टी	86	01	6.73
7.	शिरोमणि अकाली दल	02	01	0.98
	कुल		90	

स्त्रोत : हरियाणा विधानसभा चुनाव, 2009 पर सांख्यिकी प्रतिवेदन, नई दिल्लीः भारतीय चुनाव आयोग

तालिका 4 के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणामों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। परिणामों के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस सबसे बड़ा दल था जिसे 35.08 प्रतिशत मतों के साथ 40 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। 25.79 प्रतिशत मतों के साथ इंडियन नेशनल पार्टी 31 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर दूसरे स्थान पर रहीं। वोट प्रतिशत व जीती हुई विधानसभा सीटों के अनुसार निर्दलीय प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे। 13.16 प्रतिशत मतों के साथ 07 विधानसभा सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। भाजपा 9.04 प्रतिशत मतों के साथ 04 विधानसभा सीटें जितने में सफल हुई । बहुजन समाज पार्टी 6.78 प्रतिशत मतों के साथ 01 विधानसभा सीट जितने में सफल हुई। अन्य सभी दलों को 05 प्रतिशत से भी कम मत प्राप्त हुए ।

चुनाव का परिणाम 22 अक्टूबर 2009 को आया। चुनाव के बाद सबसे बड़ा दल कॉंग्रेस दल था। "कांग्रेस दल के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने 6 निर्दलीय विधायकों के और 40 कॉंग्रेस के विधायकों के समर्थन की सूची राज्यपाल को सौंपी।"[22]"23 अक्तूबर को राज्यपाल श्री जगन्नाथ पहाडिया जी ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत सिद्ध करने के लिए आमंत्रित किया।"[23] "श्री ओमप्रकाश चौटाला जी के पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्यपाल जी को चाहिए था कि वे पहल इनेलो को बहुमत सिद्ध करने के लिए आमंत्रित करें। तथा कांग्रेस को नैतिकता के आधार पर सरकार बनाने का दावा नहीं करना चाहिए। 1989 में जब लोकसभा चुनावों में कॉंग्रेस को बहुमत नहीं मिला था तो कॉंग्रेस दल ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया था। हरियाणा में कॉंग्रेस को भी उनके पद–चिह्नों पर चलना चाहिए।"[24] राज्यपाल जी ने संविधान व परंपराओं के अनुसार सबसे बडे दल के नेता को बहुमत साबित करने के लिए बुलाया।"[25] अक्टूबर को भूपेन्द्र सिंहहुड्डा जी ने बहुमत साबित किया तथा मुख्यमंत्री की शपथ

ली। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को 39 कॉंग्रेस, 7 निर्दलीय तथा एक बसपा विधायक का समर्थन मिला। विधानसभा अध्यक्ष श्री हरमोहिन्दर चढ्ढा जी ने बहुमत सिद्ध होने घोषणा की।"[25]

2009 के विधानसभा चुनाव में राज्यपाल ने संविधान अनुसार कार्य किया। 2009 से 2014 तक केन्द्र व राज्य दोनों जगह कॉंग्रेस की सरकार थी। सरकार का कार्यकाल सुविधानुसार चला।

हरियाणा गठबधंन सरकारां में राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति व वास्तविकताः निष्कर्ष

एक समय में जब केन्द्र व राज्यों में कॉंग्रेस की सरकार थी तब राज्यपाल के पद को व्यर्थ माना जाता था। भूतपूर्व राज्यपालों ने भी राज्यपाल के पद व कार्यों की आलोचना की है। लेकिन जब से राज्यों में गैर–कॉंग्रसी सरकारें बनने लगी तब से राज्यपाल की भूमिका में बदलाव आया है। राज्यपालों के सामने दोहरी समस्या आई । राज्यपालों को दल तटस्थ रहते हुए संवैधानिक व पारंपरिक रुप से कार्य करना तथा राज्यपाल पद की गरिमा को बनाए रखना होता है । केन्द्र व राज्य में अलग–अलग दल की सरकारें होने के कारण राज्य सरकारों को शिकायत रहती है कि राज्यपाल अपना कार्य संवैधानिक रुप से नहीं कर रहे। चुनावों के समय तो राज्यपाल की भूमिका और भी अधिक बढ़ जाती है। जैसे कि हमने हरियाणा के संदर्भ में देखा कि केन्द्र में कॉंग्रेस की सरकार होने के कारण राज्यपालों नेगैर संवैधानिक कार्य किए हैं। 1982 में भाजपा व लोकदल पूर्व चुनाव गठबधंन सबसे बडा दल था, लेकिन केंद्र में क्रांग्रेस सरकार होने के कारण राज्यपाल ने कांग्रेस दल के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इस समय भी केन्द्र इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति 1996 के चुनाव के दौरान देखने को मिली। इस समय भी केन्द्र में कांग्रेस दल की ही सरकार थी। लेकिन राज्यपाल नेसबसे बड़े दल के नेता (हरियाणा विकास पार्टी) बंसीलाल जी को बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित किया। जब गठबधंन टूटने की स्थिति में था तो राज्यपाल ने राजनीतिक संकट दूर करने के लिए मुख्यमंत्री से बातचीत की तथा सरकार के स्थायित्व के लिए राजनीतिक स्थिति को संभालने के लिए सलाह दी और राजनीतिक स्थिरता के लिए अहम कड़ी के रुप में कार्य किया। 2009 के विधानसभा चुनावों में भी राज्यपाल ने संविधान अनुसार कार्य किया । केन्द्र व राज्य में कॉंग्रेस की सरकार होने से विधानसभा का कार्यकाल सुचारु रहा ।

प्रत्येक विधानसभाओं के दौरान राज्यपालों ने अलग–अलग भूमिका में कार्य किया। अतः हम यह कह सकते हैं कि राज्यपाल की भूमिका अनेक कारकों पर निर्भर करती है जैसे – राज्यपाल का व्यक्तित्व, केन्द्र सरकार में नेतृत्व का स्वरुप (कमजोर व सशक्त) आदि । 1982 के चुनाव में केन्द्र सरकार में इंदिरा गाँधी को सशक्त नेतृत्व वाली प्रधानमंत्री माना गया, उस दौरान राज्यपाल ने केन्द्र सरकार के अनुरुप कार्य किया तथा 1996 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नरसिम्हा राव थे और उस समय राज्यपाल ने विवेकानुसार कार्य किया। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में गोवा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर तथा महाराष्ट्र के संदर्भ में राज्यपालों की भूमिका का विश्लेषण किया जा सकता है।

हमने राज्यपाल को अलग–अलग भूमिकाओं में पढ़ा। राज्यपाल पद की विभिन्न शक्तियों व कार्यों को लेकर आलोचना होती रहती है, लेकिन राज्य शासन व्यवस्था के लिए राज्यपाल

का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह केन्द्र व राज्य के बीच कडी के रुप में कार्य करते हैं। यह राज्य में राजनीतिक स्थिति को स्थिर बनाए रखते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति को सूचना देते हैं। राज्यपाल को संविधान में लिखित अनेक कार्य करने होते हैं।

सुझाव :

- राज्यपाल के पद की स्थिति को मजबूत करने के लिए इसको हटाने की विधि जटिल होनी चाहिए। इसे पदमुक्त करने के लिए महाभियोग या उच्च स्तरीय समिति निर्माण किया जाना चाहिए। उच्च स्तरीय समिति में मुख्यमंत्री, विरोधी दल का नेता, मुख्य सचिव व पूर्व न्यायधीश हो सकते हैं।
- अनुच्छेद 163 में संशोधन करके राज्यपाल को मंत्रीपरिषद् की सलाह पद कार्य करने के लिए बाध्यकारी बनाना ताकि विरोधी दल की सरकार होने पर राज्यपाल अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग ना कर सके।
- अनुच्छेद 163 (2) में संशोधन कर बहुमत प्राप्त न होने की दशा में राजनीतिक दलों को बहुमत साबित करने के नियम स्पष्ट रुप से लिखित होने चाहिए।
- राज्यपाल को राजनीतिक प्रयोग से बचाने के लिए आवश्यक है कि जो व्यक्ति राज्यपाल के लिए नामित किया जाएगा वह पिछले 15 वर्ष से राजनीति से दूर रहा हो।
- राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ मुख्यमंत्री की सलाह आवश्यक हो और राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उस व्यक्ति को पात्र माना जाना चाहिए जिसकी समाज में अच्छी छवि हो तथा लाक कल्याण कार्यों से संबंध रखता हो क्योंकि सशक्त केंद्र होने के बाद भी वह अपने विवेकानुसार कार्य कर सके।

संदर्भ सूची

1 बी. एल. फाडिया, भारतीय प्रशासन, आगरा, साहित्य भवनः तेरहवां संस्करणः पृ0 669
2. http://navbharattimes.indiatimes.com>17/02/2020 2:49p.m.
3. अमर उजाला, 13नवंबर,2019, पृष्ठ संख्या–6 प्र० संख्या
4. https://economictimes.indiatimes.com/elections/maharastra/maharastra-2019-assemblyelection-result-highlights/artileshow/71732960-cms?from=mdr.11:15,10 Feb, 2020
5 अमर उजाला, 13 नवंबर, 2019, पृ0 संख्या 6
6. बी. एल. फाडिया, भारतीय प्रशासन, आगरा, साहित्य भवन, तेरहवां संस्करण, पृ0 937
7. M-M-Punchi(2010), report on constitutional governance and the management of centre state relations, vol-II page no : 220-223.
8. M.Laxmikant, Lok Prashasan, Chennai, McGraw Hill Page No:19-20
9. सुभाष कश्यप, हमारा संविधान, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, छठी आवृतिरू 2017

10. एस.एस. चाहर, डायनामिक्स ऑफ इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स इन हरियाणा, नई दिल्ली, संजय प्रकाशनः, पहला संस्करण, पृ0 69
11. एस.एस. चाहर, डायनामिक्स ऑफ इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स इन हरियाणा, नई दिल्ली, संजय प्रकाशनः, पहला संस्करण, पृ0 70
12. एस. एस. चाहर, डायनामिक्स ऑफ इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स इन हरियाणा, संजय प्रकाशनः नई दिल्ली, पहला संस्करण पृ0 83–84
13. फिर वही, पृ0 86–87
14 एस.एस. चाहर, डायनामिक्स ऑफ इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स इन हरियाणा, संजय प्रकाशनरू नई दिल्ली, पहला संस्करण, पृ0 242
15 एस. एस. चाहर, डायनामिक्स ऑफ इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स इन हरियाणा, संजय प्रकाशनः नई दिल्ली, पहला संस्करण, पृ0 270
16 फिर वही, पृ0 271
17 फिर वही,पृ0 285–288
18. फिर वही पृ0 289
19 फिर वही, पृ0 291
20 Statistical report on general election, 2009 to the legislative assembly of Haryana, New Delhi: Election Commission of India
21 https://www.indiatoday.in/assembly%20-breaks&ties with INLD-in-haryana-55000-25-01-2020,4:10P.M.
22. Haryana Governor likely to invite Congress to form govt. (2019). News18. Retrieved 14 September 2019, from https://www-news18.com/news/politics/haryana-governor- likely-to-invite-congress-to-form-govt-327188.html, 10-02-2020, 5:46 P.M.
23 News18-com/news/politics/Haryana-governor likely to invite-congress to form govt.327188.html 07-02-2020,2:00 P.M.
24. https://www.news18.com.news.political claims-winchautala-byte-from-pti-327148.html, 05-02-2020,11:15A.M.
25 https:www.indiatodayin/assemblyelections.2009/Haryana/story/Haryana-hooda-wins&-vote of confidence-59443,29-01-2020,3:46 P.M.f